

जाति आधारित भेदभाव

प्रलिस के लयः

जातव्यवस्था, संवधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद, संबंधित सरकारी योजनाएँ

मेन्स के लयः

समाज और अर्थव्यवस्था में जातकी भूमिका, जातव्यवस्था की स्थिति, पहले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटल जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना । इसमें लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संरक्षण एक वर्ग के रूप में जातको भी शामिल किया गया है ।

- जाति विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है ।

भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति:

परिचय:

- जाति अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिये आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है तो अन्य के लिये अलाभ या वंचना की व्यापक स्थितिके साथ बाधाएँ खड़ी करती है ।
- यह भूमि एवं पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को भी आकार देती है और साथ ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी तक पहुँच को नियंत्रित करती है ।
- जनगणना (2011) के अनुसार, भारत में अनुमानित 20 करोड़ दलित हैं ।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े:

- वर्ष 2021 में अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ अपराधों के 50,900 मामले दर्ज किये गए, वर्ष 2020 (50,291 मामलों) की तुलना में इसमें 1.2% की वृद्धि हुई ।
- अपराध की दर विशेष रूप से मध्य प्रदेश (113.4 लाख की अनुसूचित जातकी आबादी में 63.6 प्रति लाख) और राजस्थान (112.2 लाख की अनुसूचित जातकी आबादी में 61.6 प्रति लाख) में उच्च थी ।

ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया डिसक्रिमिनेशन रिपोर्ट:

- शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी: यह कमी शिक्षा एवं सहायक सरकारी नीतियों के कारण देखी गई है ।
- आय में अंतर: वर्ष 2019-20 में गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के स्व-नियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपए, जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 रुपए थी ।
 - स्व-नियोजित गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में एक-तहाई अधिक कमाते हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि: ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आकस्मिक रोजगार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है ।

भारत में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय:

संवैधानिक प्रावधान:

कानून के समक्ष समानता:

- अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा ।
- यह अधिकार सभी व्यक्तियों चाहे वे भारतीय नागरिक हों या विदेशी नागरिक या किसी अन्य प्रकार का कानूनी नगिमों जैसे,

सांविधिक नगिम, कंपनरिओं, पंजीकृत समतियिओं आदि को दयिा गया है ।

- **भेदभाव का नषिध:**
 - भारत के संवधिान में **अनुच्छेद 15** में कहा गया है कऱराज्य कसिी भी नागरकि के खलिाफ केवल धरुम, नसुल, जातऱ, लऱगऱ, जनुम सुथान या इनमें से कसिी के आधार पर भेदभाव नही करेगा ।
- **अवसर की समानता:**
 - भारत के संवधिान में **अनुच्छेद 16** में कहा गया है कऱराज्य के तहत रोजगार के मामलों में सभी नागरकिों के लयि अवसर की समानता होगी । कोई भी नागरकि केवल धरुम, मूलवंश, जातऱ, लऱगऱ, वंश, जनुम सुथान या इनमें से कसिी भी आधार पर राज्य के अधीन कसिी पद के लयि अपातर नही होगा ।
- **असपृश्यता का उनुमूलन:**
 - संवधिान का **अनुच्छेद 17** असपृश्यता को समाप्त करता है ।
- **शैक्षणकि और सामाजकि-आरुथकि हतऱों को बढावा देना:**
 - **अनुच्छेद 46** के तहत राज्य द्वारा 'कमजोर वर्ग के लोगों और वशिष रूप से अनुसूचति जातयिों तथा अनुसूचति जनजातयिों के शैक्षणकि एवं आरुथकि हतऱों को बढावा देने और उनहें सामाजकि अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लयि प्रावधान का उल्लेख है ।
- **अनुसूचति जातऱ के दावे:**
 - **अनुच्छेद 335** में प्रावधान है कऱसंघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नयुक्तियिों करते समय, प्रशासन की दकषता बनाए रखने के साथ अनुसूचति जातयिों एवं अनुसूचति जनजातयिों के सदसुयों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाएगा ।
- **वधिानमंडल में आरकषण:**
 - **संवधिान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** में करुमशः लोकसभा और राज्यों की वधिानसभाओं में अनुसूचति जातयिों तथा अनुसूचति जनजातयिों के पकष में सीटों के आरकषण का प्रावधान है ।
- **सुथानीय नकियिों में आरकषण:**
 - **पंचायतों से संबंधति भाग IX और नगर पालकियाँ** से संबंधति संवधिान के भाग IXA के तहत सुथानीय नकियिों में अनुसूचति जातऱ एवं अनुसूचति जनजातऱ के लयि आरकषण की परकिल्पना तथा प्रावधान कयिा गया है ।

संबंधति सरकारी पहलें:

■ भूमऱसुधार:

- भूमऱ के समान वतऱरण और वंचतऱों के उत्थान हेतु **भूमऱसुधार** के प्रयास कयिे गए । स्वतंत्र भारत के भूमऱसुधार के चार घटक थे:
 - बचौलियिों का उनुमूलन
 - करियेदारी में सुधार
 - भू-धारति सीलऱगऱ का नरिधारण करना (Fixing Ceilings on Landholdings)
 - ज़मींदारी का समेकन ।

■ संवधिान (अनुसूचति जातऱ) आदेश 1950:

- इसने हदू दलतऱों के साथ-साथ सखि धरुम और बौद्ध धरुम को अपनाने वाले दलतऱों को अनुसूचति जातयिों के रूप में वर्गीकृत कयिा ।
- सर्वोच्च न्यायालय अब **दलति ईसाइयों और दलति मुसलमानों को अनुसूचति जातऱ के रूप में शामिल** करने की मांग करने वाली याचकियाँ पर सुनवाई कर रहा है ।

■ प्रधानमंतुरी कौशल वकिस योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana- PMKVY):

- यह उत्पादकता बढाने और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशकषण एवं प्रमाणन को संरेखति करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशकषण के लयि प्रेरति करने पर लकषति है ।

■ संकल्प योजना:

- आजीवकि संवर्द्धन के लयि कौशल अधगऱरण और ज्ञान जागरूकता या 'संकल्प' (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion- SANKALP) **कौशल वकिस और उद्यमति मंतुरालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSDE)** का एक परणाम-उनुमुख कारुयकरुम है जहाँ वकिंदरीकृत योजना-नरिमाण एवं गुणवत्ता सुधार पर वशिष बल दयिा गया है ।

■ 'सुटैडअप इंडिया' योजना:

- इसे अपरैल 2016 में आरुथकि सशकृतीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रति रखते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमति को बढावा देने के लयि लॉन्च कयिा गया ।
- इसका उद्देश्य संसुथागत ःरण संरचना की पहुँच अनुसूचति जातऱ, अनुसूचति जनजातऱ और महिला उद्यमयिों जैसे सेवा-वंचति समूहों तक सुनश्चिति करना है ताकऱ वे इसका लाभ उठा सकें ।

■ प्रधानमंतुरी मुद्रा योजना:

- यह बैंकों, **गैर-बैंकगि वतऱितीय कंपनयिों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs)** और **सूकषुम वतऱित संसुथानों (Micro Finance Institutions- MFIs)** जैसे वभिनिन वतऱितीय संसुथानों के माध्यम से गैर-कॉरपोरेट लघु व्यवसाय कषेतर को वतऱितपोषण प्रदान करती है ।
- इसके तहत समाज के वंचति वर्गों, जैसे- महिला उद्यमयिों, एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंखुयक समुदाय की लोगों आदि को ःरण दयिा गया है । योजना ने नए उद्यमयिों का भी वशिष ध्यान रखा है ।

आगे की राह

- भेदभाव के खिलाफ दलितों और आदवासियों जैसे हाशिये के समुदायों की रक्षा हेतु कानूनों तथा नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन करना।
- जातगत भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के हानिकारक प्रभावों को उजागर करने हेतु लोगों के बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।
- भूमि के अधिक समान वितरण हेतु दूसरी पीढ़ी के भूमिसुधारों के साथ-साथ स्टैंडअप इंडिया, PMKVY और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीमांत समुदायों का आर्थिक सशक्तीकरण करना।
- जातगत भेदभाव को दूर करने हेतु नागरिक समाज संगठनों, सरकारी एजेंसियों और वंचित समुदायों के बीच सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'स्टैंडअप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका प्रयोजन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।
2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

- स्टैंडअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है।
- इस योजना से बड़ी संख्या में उद्यमियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी के उद्यमियों के लिये औसतन प्रति बैंक शाखा (अनुसूचित वाणज्यिक बैंक) में कम-से-कम दो ऐसी परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करना है।
- यह SIDBI के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। अतः कथन 2 सही है।

??????:

प्रश्न. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जातकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित वसितृत उत्तर दीजिये। (2020)

प्रश्न. "जातव्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जातव्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टपिपणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिकि पहलें क्या हैं? (2017)

प्रश्न. अपसारी उपागमों और रणनीतियों के बावजूद महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये। (2015)

प्रश्न. इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एसर्शन) के समकालीन आंदोलन जातविनाश की दशा में काम करते हैं। (2015)

स्रोत: द हिंदू